संख्या :42/2015/899/छप्पन-2015-2/2013

प्रेषक,

कृष्ण चन्द्र राय शर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 04 जून, 2015

विषय :जनपद चित्रकूट स्थित देवांगना घाटी पर स्थित राजकीय हवाई पट्टी का विस्तारीकरण सम्बन्धी आगणन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1060-63/ए0एफ0-105(बी)/2015, दिनांक 21-1-2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आपके उक्त पत्र में किए गए प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चित्रकूट स्थित राजकीय हवाई पट्टी के विस्तारीकरण हेतु गठित आगणन/डी0पी0आर0 में कार्यदायी संस्था राइट्स लिमिटेड द्वारा सम्मिलित 11 प्रतिशत की दर से कन्सल्टेन्सी फीस और इस कन्सल्टेन्सी फीस पर 12.36 प्रतिशत की दर से सर्विस टेक्स अनुमन्य करते हुए प्रश्नगत कार्य कार्यदायी संस्था राइट्स लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) से कराये जाने हेतु उनके द्वारा गठित आगणन/डी0पी0आर0 के परीक्षणोपरान्त रूपये 92,66,19,000-00 (रूपये बानवे करोड़ छियासठ लाख उन्नीस हजार मात्र) की लागत पर व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित आगणन/डी0पी0आर0 एवं व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 18-3-2015 का कार्यवृत्त संलग्न है।

3- अत: राज्यपाल महोदय जनपद चित्रकूट स्थित राजकीय हवाई पट्टी के विस्तारीकरण सम्बन्धी आगणन/डी0पी0आर0 लागत रूपये 92,66,19,000-00 (रूपये बानवे करोड़ छियासठ लाख उन्नीस हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रथम किश्त के रूप में रूपये 11,88,00,000-00 (रूपये ग्यारह करोड़ अट्ठासी लाख मात्र) के व्यय की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) मुक्त प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत /अवमुक्त धनराशि के 75 प्रतिशत धनराशि के उपयोग होने पर एवं कार्यदायी संस्था की मॉग पर दूसरी किश्त स्वीकृत करने का प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित प्रेषित किया जाय।

(2) प्रायोजना के लिए कुल स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था से नियमानुसार आवश्यक अनुबन्ध निष्पादित करा लिया जाय।

(3) प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अनुमोदित कार्यों/मात्राओं के अनुसार कार्य कराया जाना कार्यदायी संस्था एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

---2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(5) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(6) पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना में प्रस्तावित कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत हैं और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्र्तगत कराये जाने प्रस्तावित है।

(7) प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि अथवा अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि बिना शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये नहीं किया जायेगा।

(8) आगणन/डी0पी0आर0 में अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा, जिस पर तीन माह के अन्दर शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि उसी मद/प्रयोजन पर व्यय की जायेगी, जिस प्रयोजन/मद हेतु स्वीकृत की गयी है।

(10) कार्य की वित्तीय भौतिक प्रगति की पाक्षिक आख्या नियमित रूप से शासन के नागरिक उड्डयन अनुभाग को उपलब्ध कराया जाना और कार्यदायी संस्था से प्रश्नगत कार्यों को प्रत्येक दशा में समयान्तर्गत पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) सम्बन्धित निर्माण इकाई से निर्माण कार्य की गुणवत्ता/समयबद्धता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायी जायेगी।

(12) प्रश्नगत कार्य को गुणवत्ता पूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के उपरान्त कार्य के सन्तोषजनक होने के सम्बन्ध में आख्या के साथ उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं अन्य सम्बन्धित लेखा-जोखा पूर्व प्रेषित निर्देशों के अनुसार तथा निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) परियोजना की लागत में किसी भी दशा में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न होना सुनिश्चित किया जायेगा और इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों में प्रदत्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) बाट-आउट आइटम्स का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों, शासन की क्रय नीति और सामग्री क्रय नियमों के अनुसार की जायेगी। उक्त सामग्री प्रोप्राइटरी श्रेणी की है, जिनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं अत: इनका क्रय / स्थापना निर्माता कम्पनियों से प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करके सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

---3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 38 के पूँजी लेखा के अन्तर्गत लेखा शीर्षक- 5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- ई-7-484/दस-2015, दिनांक 02 जून, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक : अनुमोदित आगणन/डी0पी0आर0
एवं व्यय वित्त समिति की बैठक
दिनांक 18-3-2015 का कार्यवृत्त ।

भवदीय,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

पृ0सं0 : 42/2015/899(1)/छप्पन-2015-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- आयुक्त, चित्रकूट धाम मण्डल, बाँदा।
4- जिलाधिकारी, चित्रकूट।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ / कोषाधिकारी, चित्रकूट।
6- महाप्रबन्धक, राइट्स लिमिटेड, (एयरपोर्ट डिवीजन) गुडगॉव, हरियाणा।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
8- नियोजन अनुभाग-5
9- समीक्षा अधिकारी (बजट)।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।